अध्याय XIV : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

14.1 प्रशासनिक प्रभारों की कम वसूली

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि पर प्रशासनिक प्रभार के संशोधित दर के संदर्भ में प्रतिष्ठानों द्वारा भेजे गए बकाया की पुष्टि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की विफलता के परिणामस्वरूप जनवरी 2015 से मार्च 2017 अवधि के दौरान ₹ 6.17 करोड़ की कमी हुई।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ) के पैरा 38(1) के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (अधिनियम) की धारा 6 और 6सी तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई) के पैरा 8(1), के अनुसार एक नियोक्ता को ऐसे दर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को प्रशासनिक प्रभार देना होगा जो केन्द्र सरकार मासिक अंशदान के साथ समय-समय पर दर निर्धारित करती है।

फरवरी 2015 में, ईपीएफ और ईडीएलआई के अंशदान पर प्रशासनिक प्रभार की दर श्रम और रोजगार मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा संशोधित की गई थी जैसा नीचे **तालिका सं. 1** में दिया गया है:

तालिका सं. 1: ईपीएफ और ईडीएलआई अंशदान पर प्रशासनिक शुल्क की दर

योजना	पूर्व संशोधित दर[1]	संशोधित दर[2]
ईपीएफ	ईपीएफ वेतन[3] का 1.10 प्रतिशत न्यूनतम ₹ पांच तक के अधीन	*वेतन का 0.85 प्रतिशत न्यूनतम ₹ 75[4] और ₹ 500[5] तक के अधीन*
ईडीएलआई	वेतन का 0.01 प्रतिशत न्यूनतम ₹ दो तक के अधीन	*वेतन का 0.01 प्रतिशत न्यूनतम ₹ 25[6] और 200[7] तक के अधीन*

1 ईपीएफओ के लेखांकन प्रक्रिया भाग-I सामान्य मैनुअल के अनुसार

2 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. 243, दिनांक 2 फरवरी 2015 के अनुसार

3 बेसिक मजदूरी, महंगाई भत्ता, रखरखाव भत्ता, यदि कोई हो और उस पर खाद्य रियायतें नकद मूल्य पर स्वीकार्य

4 गैर-कार्यात्मक प्रतिष्ठान के लिए जिसका कोई अंशदायी सदस्य न हो।

5 अन्य प्रतिष्ठान के लिए

6 गैर-कार्यात्मक प्रतिष्ठान के लिए जिसका कोई अंशदायी सदस्य न हो।

7 अन्य प्रतिष्ठान के लिए

इसके बाद मार्च 2015 में, ईपीएफओ, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली ने 01 जनवरी 2015 से प्रभावी सभी प्रशासनिक प्रभार के संशोधित दरों को लागू करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया था। ईपीएफओ और ईडीएलआई डाटा ईपीएफओ पोर्टल में अपलोड करने और इलेक्ट्रानिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) बनाने के बाद ईपीएफ और मासिक अंशदान सहित ईडीएलआई पर प्रशासनिक शुल्क ईपीएफओ के नामित बैंक खाते में नियोक्ता द्वारा प्रेषण किया गया।

ईपीएफओ के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ)[8] के अभिलेखों की जांच से पता चला कि पंजीकृत प्रतिष्ठान संशोधित दर पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे। ईपीएफओ के आरओ संशोधित दरों पर प्रशासनिक प्रभार का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ईसीआर को सत्यापित करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान ₹ 6.17 करोड़[9] के प्रशासनिक प्रभारों की कम प्राप्ति हुई, जैसा कि नीचे **तालिका सं. 2** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका सं. 2: प्रशासनिक प्रभारों की कम प्राप्ति

आरओ के नाम	योजना	मामलों की संख्या (संस्थान)	प्रशासनिक प्रभारों की कम प्राप्ति (₹)
आरओ, कोलकाता	ईडीएलआई	9,429	1,30,14,493
	ईपीएफ	4,386	90,25,865
आरओ, बैरकपुर	ईडीएलआई	3,020	36,82,424
	ईपीएफ	1,446	29,39,455
आरओ, दुर्गापुर	ईडीएलआई	3,352	51,40,354
	ईपीएफ	2,043	46,77,038
आरओ, हावड़ा	ईडीएलआई	3,528	53,22,977
	ईपीएफ	1,688	38,92,216
आरओ, जयपाईगुड़ी	ईडीएलआई	1,081	11,27,343
	ईपीएफ	650	10,97,604
आरओ, जांगीपुर	ईडीएलआई	2,197	25,07,042
	ईपीएफ	755	8,17,700

[8] कोलकाता, बैरकपुर, दुर्गापुर, हावड़ा, जयपाईगुड़ी, जांगीपुर, पार्कस्ट्रीट, सिलीगुड़ी

[9] संबंधित आरओ से प्राप्त सूची के अनुसार छूट प्राप्त स्थापना को हटा कर।

आरओ, पार्कस्ट्रीट	ईडीएलआई	2,256	35,06,503
	ईपीएफ	810	19,22,781
आरओ, सिलीगुड़ी	ईडीएलआई	1,876	14,24,861
	ईपीएफ	1,186	16,23,317
	कुल	**39,703**	**6,17,21,973**

आरओ कोलकाता, बैरकपुर, दुर्गापुर, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, पार्क स्ट्रीट, सिलीगुड़ी ने बताया (अगस्त/सितम्बर 2017) कि प्रशासनिक प्रभारों की कम वसूली को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित "डिफाल्ट ट्रैकिंग और प्रबंधन तंत्र" की कमी के कारण नहीं पकड़ा जा सका। आरओ, जांगीपुर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ईपीएफओ मुख्यालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि यह मामला प्रशासनिक प्रभार में कमी की पुष्टि करने के लिए तकनीकी टीम के परामर्श से विचाराधीन है और वे तदनुसार उचित सुधारात्मक उपाय करेंगे।

जून 2017 और दिसम्बर 2017 में मंत्रालय को मामला सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।